न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा
जवानी सिंह बनाम सरदार सिंह वगैरह
विविध-प्र.प. नं.-672/18

14.06.2018

पत्रावली आज अधिवक्ता विपक्षी संख्या 28, 29 की और से नियुक्त विद्वान अधिवक्ता श्री मुरारी जोशी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. बाबत वादपत्र में प्रारम्भिक आपत्ति मूल वाद में प्रस्तुत करने से पैश हुई। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की द्वितीय प्रति अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलवाई गई।

चुंकि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद संख्या 105/2018 अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 आर.टी.एक्ट को आज सुनवाई के दौरान, न्यायालय के समक्ष दोषयुक्त/त्रूटीपूर्ण प्रस्तुत किया जाना, पाये जाने पर खारिज कर निर्णित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित/शेष नही रह जाती है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण बाबत स्थगन में विगत सुनवाई दिनांक 07.06.2018 से पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को अपास्त करते हुए, आगे की कार्यवाही को स्थगित कर, इसी के मूल वाद संख्या 105/2018 के साथ नत्थी किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।